न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :– 03/2019

ओमप्रकाश भार्गव उम्र 60 वर्ष पुत्र चौथूराम, जाति भार्गव पेशा मजदूरी निवासी भडून्दा खुर्द तहसील व ,जिला झुंझुनू राजस्थान,।

– निगरानीकार

– बनाम–

1. सोमदत भार्गव उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. संतोष देवी एवं मूलचंद जाति भार्गव, पेश मजदूरी निवासी सेशम, तहसील दातारामगढ जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनू राज. जरिये सरपंच।

–गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द बाबत निरस्त कराने
पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.7.2017

उपस्थिति :–
1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट – निगरानीकार की ओर से।
2. श्री कैलाश कल्याण, एडवोकेट – गैर निगरानीकार सं 1 की ओर से।
3. श्री नंदकिशोर शर्मा, एडवोकेट –––गैर निगरानीकार सं.2 की ओर से।

–निर्णय–

दिनांक :– 28.2.2020

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द के खिलाफ पट्टा संख्या 48 दिनांकित 20.7.2017 के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि– ग्राम भडून्दा खुर्द में निगरानीकार के पिता चौथूराम पुत्र महालाराम की आबादी भूमि में पैत्रिक गुवाड़ी रही है। चौथूराम की मृत्यु होने पर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार निगरानीकार की माता का नाता विवाह महावीर सिंह भार्गव पुत्र श्री घड़सीराम भार्गव के साथ सम्पन्न हुआ था। स्व. चौथूराम के निगरानीकर व संतोष जायन्दा पुत्र व पुत्री पैदा हुये थे। निगरानीकार मजदूरी करने गंगानगर जिले में अधिकांशत आबाद रहा है। निगरानीकार द्वारा स्व. महावीर की देखरेख व सार संभाल जीवन पर्यन्त बतौर पिता के तौर पर की गई थी। स्व. महावीर सिंह को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना व ईलाज करवाने का कार्य भी निगरानीकार के द्वारा ही किया गया। स्व. महावीर के देहान्त पर समस्त क्रियाकर्म व सामाजिक रीति रिवाज से

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पिण्डदान का कार्य व अन्य समस्त दायित्व का निर्वहन निगरानीकार द्वारा ही सम्पन्न किया गया । स्व. महावीर पुत्र घड़सीराम निगरानीकार के पिता का सगा भाई नहीं रहा है तथा विवादित पटटा भूमि निगरानीकार के पिता चौथूराम की रही है। स्व. महावीर उक्त गुवाड़ी में केवल निगरानीकार की माता के नाता विवाह होने के कारण ही काबिज रहा है। स्व. महावीर का उक्त गुवाड़ी पर कानूनन कोई स्वामित्व अधिकार नहीं हुआ है। उक्त गुवाहड़ी का 1/2 हिस्सा निगरानीकार ने 15 वर्ष पूर्व बलबीर जाट को बेचा था। इससे स्पष्ट है कि चौथूराम का उक्त गुवाड़ी पर पुश्तैनी कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत भडून्दा द्वारा स्व. महावीर सिंह पुत्र घड़सीराम भार्गव के हक में जारी पटटा संख्या 48 दिनांक 20.7.2017 का आदेश खिलाफ न्याय कानून एवं पत्रावली होने से खरिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 48 जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति जारी नहीं की गई तथा न ही उक्त पटटा संख्या 48 जारी करने बाबत निगरानीकार की सहमति प्राप्त की गई। स्व. महावीर सिंह ने निगरानीकार संख्या–2 के बहकावे में आकर पटटा संख्या 48 स्वयं के हक में जारी करवाने का आवेदन किया गया है। स्व. महावीर को पटटा प्राप्त करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं रही है। गेर निगरानीकार संख्या 1 ने बेईमानी एवं बदनीति से स्व. महावीर सिंह के साथ छल व धोकाधड़ी कर निगरानीकार के कब्जे एवं स्वामित्व की आबादी भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार सं0 2 ने गलत जारी करवाया। पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत सरपंच व पंचों द्वारा स्व. महावीर सिंह निगरानीकार का सौतेला पिता होने के कारण जांच रिपोर्ट गलत पेश की है। पटटा संख्या 48 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अनापति प्रमाण पत्र में केवल गवाहों के हस्ताक्षर हैं, किसी भी गवाह का कोई पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। वार्ड पंचों द्वारा निगरानीकार के कब्जे एवं स्वामित्व की गुवाड़ी होने व स्व. महावीर सिंह सौतेला पिता होने की जानाकारी होने के बावजूद पटटा भूमि स्व. महावीर सिंह के कब्जे एवं पुश्तैनी होने की रिपोर्ट गलत पेश की है। स्व. महावीर सिंह द्वारा भी पुश्तैनी जमीन होने का झूठा शपथ पत्र पेश किया गया है। पटटा संख्या 48 की भूमि निगरानीकार की पिता की भूमि है तथा उक्त भूमि का कानूनन वास्तविक स्वामित्व व कब्जा निगरानीकार का है। निगरानीकार के पास ग्राम भडून्दा खुर्द में अन्य कोई आवासीय भूमि नहीं है। उक्त पट्टा अस्तित्व मं रहने से निगरानीकार पुश्तैनी आवासीय भूमि से वृद्धावस्था में बेघर हो जायेगा। उक्त पट्टे के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 निगरानीकार को उसकी पैत्रिक गुवाड़ी से बेदखल करने पर उतारू है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने साजसी रूप से स्व. महावीर सिंह से बीमारी हालत में गलत फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.7. 2017 बहक महावीर प्रसाद पुत्र घड़सीराम निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – ग्राम भडून्दा खुर्द में निगरानीकार के पिता चौथूराम पुत्र महालाराम की आबादी भूमि में पैत्रिक गुवाड़ी रही है। चौथूराम की मृत्यु होने पर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार निगरानीकार की माता का नाता विवाह महावीर सिंह भार्गव पुत्र श्री घड़सीराम भार्गव के साथ सम्पन्न हुआ था। स्व. चौथूराम के निगरानीकर व संतोष जायन्दा पुत्र व पुत्री पैदा हुये थे। निगरानीकार मजदूरी करने गंगानगर जिले में अधिकांशत आबाद रहा है। निगरानीकार द्वारा स्व. महावीर की देखरेख व सार संभाल जीवन पर्यन्त बतौर पिता के तौर पर की गई थी। स्व. महावीर सिंह को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना व ईलाज करवाने का कार्य भी निगरानीकार के द्वारा ही किया गया। स्व. महावीर के देहान्त पर समस्त क्रियाकर्म व सामाजिक रीति रिवाज से पिण्डदान का कार्य व अन्य समस्त दायित्व का निर्वहन निगरानीकार द्वारा ही सम्पन्न किया गया । स्व. महावीर पुत्र घड़सीराम निगरानीकार के पिता का सगा भाई नहीं रहा है तथा विवादित पटटा भूमि निगरानीकार के पिता चौथूराम की रही है। स्व. महावीर उक्त गुवाड़ी में केवल निगरानीकार की माता के नाता विवाह होने के कारण ही काबिज रहा है। स्व. महावीर का उक्त गुवाड़ी पर कानूनन कोई स्वामित्व अधिकार नहीं हुआ है। उक्त गुवाहड़ी का 1/2 हिस्सा निगरानीकार ने 15 वर्ष पूर्व बलबीर जाट को बेचा था। इससे स्पष्ट है कि चौथूराम का उक्त गुवाड़ी पर पुश्तैनी कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत भडून्दा द्वारा स्व. महावीर सिंह पुत्र घड़सीराम भार्गव के हक में जारी पटटा संख्या 48 दिनांक 20.7.2017 का आदेश खिलाफ न्याय कानून एवं पत्रावली होने से खरिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 48 जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति जारी नहीं की गई तथा न ही उक्त पटटा संख्या 48 जारी करने बाबत निगरानीकार की सहमति प्राप्त की गई। स्व. महावीर सिंह ने निगरानीकार संख्या–2 के बहकावे में आकर पटटा संख्या 48 स्वयं के हक में जारी करवाने का आवेदन किया गया है। स्व. महावीर को पटटा प्राप्त करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं रही है। गेर निगरानीकार संख्या 1 ने बेईमानी एवं बदनीति से स्व. महावीर सिंह के साथ छल व धोकाधड़ी कर निगरानीकार के कब्जे एवं स्वामित्व की आबादी भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार सं0 2 ने गलत जारी करवाया। पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत सरपंच व पंचों द्वारा स्व. महावीर सिंह निगरानीकार का सौतेला पिता होने के कारण जांच रिपोर्ट गलत पेश की है। पटटा संख्या 48 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अनापति प्रमाण पत्र में केवल गवाहों के हस्ताक्षर हैं, किसी भी गवाह का कोई पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। वार्ड पंचों द्वारा निगरानीकार के कब्जे एवं

अति. जिला कलेक्टर

स्वामित्व की गुवाड़ी होने व स्व. महावीर सिंह सौतेला पिता होने की जानाकारी होने के बावजूद पटटा भूमि स्व. महावीर सिंह के कब्जे एवं पुश्तैनी होने की रिपोर्ट गलत पेश की है। स्व. महावीर सिंह द्वारा भी पुश्तैनी जमीन होने का झूठा शपथ पत्र पेश किया गया है। पटटा संख्या 48 की भूमि निगरानीकार की पिता की भूमि है तथा उक्त भूमि का कानूनन वास्तविक स्वामित्व व कब्जा निगरानीकार का है। निगरानीकार के पास ग्राम भडून्दा खुर्द में अन्य कोई आवासीय भूमि नहीं है। उक्त पट्टा अस्तित्व मं रहने से निगरानीकार पुश्तैनी आवासीय भूमि से वृद्धावस्था में बेघर हो जायेगा। उक्त पट्टे के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 निगरानीकार को उसकी पैत्रिक गुवाड़ी से बेदखल करने पर उतारू है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने साजसी रूप से स्व. महावीर सिंह से बीमारी हालत में गलत फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.7.2017 बहक महावीर प्रसाद पुत्र घड़सीराम निरस्त किया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार सं0–1 व 2 ने बताया कि – ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द ने गैर निगरानीकार संख्या–1 के आवेदन पर आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया अपनायी जाकर विधिक तरीके से उक्त पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.07.2017 जारी किया गया जो सही है। निगरानीकार ओमप्रकाश गंगानगर रहता है। पटटा सही है। निगरानीकार ने मनगढंत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैंने निगरानी पत्रावली मिसल ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द में गैर निगरानीकार–1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 21.5.2017 में प्रस्ताव द्वारा मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की पंचों की कमेटी का गठन किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मौका रिपोर्ट में कमेटी द्वारा विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार को पट्टा दिये जाने से किसी आम रास्ते व गली व अन्य सार्वजनिक आवागमन पर विपरीत असर नहीं होना अंकित किया गया है और कमेटी की राय में भूमि को बिक्री की जाने योग्य माना है। प्रार्थना पत्र के साथ महावीर प्रसाद भार्गव का शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद दिनांक 5.62017 को आपति नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की मियाद समाप्त होने पर एवं कोई ऐतराज प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.7.2017 में प्रस्ताव संख्या–1 के निर्णय अनुसार गैर निगरानीकार को 270/– शुल्क लिया जाकर उक्त पट्टा जारी करने का निर्णय किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द द्वारा आबादी भूमि में कब्जे के आधार पर विधिक प्रकिया के

अति. जिला कलेक्टर
डीडवाना

अन्तर्गत जारी पट्टे को निगरानीकार के मौखिक कथनो पर विश्वास किया जाकर निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निगरानीकार अपने पैत्रिक गुवाड़ी के हक हिस्से को लेकर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है, जहां बाद साक्ष्य प्रकरण का निस्तारण होना है। निगरानीकार द्वारा चाही गई रिलिफ निगरानी के माध्यम से दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत भडून्दा खुर्द के आदेश दिनांक 5.7.2017 द्वारा में जारी पटटा संख्या 48 दिनांक 20.7.2017 ग्राम पंचायत यथावत रखा जाता है।आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत भडूंदा खुर्द को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू